सिविल लाइंसमें सर्विस लेनका विभाजन एवं फुटपाथकी रेलिंग हटेगी, होगी पेड पार्किंग

यातायात, पार्किंग एवं सौंदर्यीकरणको लेकर लिया गया महत्वपूर्ण निर्णय

सिविल लाइंस में एमजी मार्ग एवं सरदार पटेल मार्ग के पुनर्विन्यास, फुटपाथ की रेलिंग एवं सड़क विभाजन हटाकर पेड पार्किंग के लिए अतिरिक्त स्थान विकसित करने की तैयारी शुरू हो गयी है। पेड पार्किंग के लिए टेण्डर भी नगर निगम की ओर से हो गया है, बहुत जल्द योजना सिविल लाइंस की सड़क पर नजर आयेगी। इस संबंध में बुधवार को मंडलायुक्त डा. लोकेश एम. की अध्यक्षता एवं उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण ऋषिराज, नगर आयुक्त साई तेजा, डीसीपी मनीष शाण्डिल्य सहित संबंधित अधिकारियों तथा विभिन्न व्यापार मंडलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। बैठक में व्यापार मंडल प्रतिनिधियों ने दोनों मार्गों पर यातायात जाम एवं अतिक्रमण से जुड़ी समस्याओं के समाधान के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जिनकी मंडलायुक्त ने बिंदुवार समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कारवाई के निर्देश दिये। बताया गया कि एमजी रोड पर हनुमान मंदिर चौराहे से पत्थर गिरजाघर तक सड़क एवं सर्विस लेन के बीच का विभाजन हटाकर उचित ढलान तैयार करने तथा सड़क किनारे पार्किंग व्यवस्था को बेहतर बनायी जायेगी। थार्नहिल रोड की तर्ज पर ऐसी पार्किंग व्यवस्था विकसित की जाएगी, जिसमें वाहन सुगमता से प्रवेश कर सड़क किनारे व्यवस्थित रूप से पार्क किए जा सकें। इससे सड़क की उपयोगी चौड़ाई बढ़ने के साथ ही यातायात व्यवस्था भी अधिक सुगम होगी। इसी तरह सरदार पटेल मार्ग पर खरबंदा मोटर्स के सामने से विवेकानंद चौराहे तक दोनों ओर बनी फुटपाथ की रेलिंग हटाकर उसके ढलान को सड़क के अनुरूप व्यवस्थित करने तथा पार्किंग के लिए अतिरिक्त स्थान विकसित की जायेगी। दोनों मार्गों का आवश्यकतानुसार पुनर्विन्यास किया जाएगा तथा सड़क के विस्तार एवं यातायात में बाधक अनावश्यक अवरोधों एवं संरचनाओं को हटाया जाएगा। यदि कोई शौचालय अथवा अन्य निर्माण मार्ग के पुनर्विन्यास में बाधक पाया जाता है तो उसे नियमानुसार अन्यत्र स्थानांतरित किया जाएगा। दोनों मार्गों पर शुल्क आधारित पार्किंग व्यवस्था लागू करने तथा एमजी रोड पर हनुमान मंदिर से पत्थर गिरजाघर तक वेंडिंग-फ्री जोन विकसित करने पर सहमति बनी। अनधिकृत रूप से सामग्री अथवा खाद्य पदार्थ बेचने वाले विक्रेताओं एवं ठेला संचालकों को निर्धारित वैकल्पिक स्थानों पर स्थानांतरित किया जाएगा। पार्किंग लेन में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होने दिया जाएगा। सड़क किनारे वाहन मरम्मत करने, अनधिकृत रूप से वाहन खड़े करवाने या यातायात में अवरोध उत्पन्न करने वाली गतिविधियों को भी हटाया जाएगा।

श्री कटरा रामलीला कमेटीकी 'कार्यक्रम पुस्तिका'का विमोचन आज

श्री कटरा राम लीला कमेटी की ओर से इस वर्ष आगामी रामलीला महोत्सव की संपूर्ण जानकारियों एवं समय-सारणी से युक्त 'कार्यक्रम पुस्तिका' का विमोचन किया जाना तय हुआ है। कमेटी के मीडिया प्रभारी पवन प्रजापति के अनुसार एक अक्तूबर को अपरान्ह तीन बजे इंडियन प्रेस चौराहे के पास श्री कटरा रामलीला कमेटी परिसर(राम वाटिका) में विमोचन समारोह का आयोजन किया गया है।

एमजी-एसपी मार्गपर ई-रिक्शासे हो रही समस्याका होगा निराकरण

दोनों मार्गों पर ई-रिक्शा की समस्या के निराकरण के संबंध में प्राप्त सुझावों के दृष्टिगत मंडलायुक्त ने नगर आयुक्त एवं उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण को वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा कर वैकल्पिक यातायात व्यवस्था सहित संयुक्त कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। इसमें ई-रिक्शा, ई आटो एवं अन्य वैकल्पिक यातायात साधनों की व्यवस्था की संभावनाओं पर भी विचार करने के निर्देश दिये। बैठक में सिविल लाइंस व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुशील खरबंदा, महामंत्री शिव शंकर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आशीष अरोरा, मेधराज, रणवीर सिंह आदि मौजूद रहे। सुशील खरबंदा ने बताया कि एसपी मार्ग पर फुटपाथ चौड़ाई में अंतर है, इसमें सिर्फ चार फीट का फुटपाथ होने के लिए मंडलायुक्त को सुझाव दिया जायेगा।

प्रीतमनगरकी सड़कसे हटेगा अतिक्रमण

बैठक में प्रीतम नगर व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों ने ६० फुट मार्ग की ओर जाने वाले रास्ते पर अतिक्रमण एवं अन्य अवरोधों की समस्या भी उठाई। मंडलायुक्त ने डीसीपी को तीन दिवस के भीतर सभी अनावश्यक अवरोध हटाने के निर्देश दिए। नगर निगम एवं विकास प्राधिकरण की टीम के साथ समन्वय स्थापित कर मलबा एवं अन्य सामग्री हटाने, सड़क की साफ-सफाई कराने तथा अनधिकृत अतिक्रमण हटाने की काररवाई जल्द होगी ताकि नागरिकों का आवागमन सुगम एवं सुरक्षित हो सके।

इविवि के मुख्य गेटपर प्रदर्शन, कुलसचिवकी गाड़ी रोकी, एफआईआर

फीस वृद्धि एवं सीट कटौतीको लेकर आंदोलनरत छात्रोंपर मुकदमा, शैक्षणिक-प्रशासनिक कार्य प्रभावित होनेका आरोप

इलाहाबाद विश्वविद्यालय (इविवि) के सीनेट परिसर स्थित मुख्य प्रवेश द्वार पर मंगलवार शाम छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए रास्ता रोक दिया। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने कुलसचिव की गाड़ी भी रोक ली और उन्हें वाहन से उतरने के लिए मजबूर किया। मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन की तहरीर पर कर्नलगंज थाने में नौ नामजद छात्रों समेत अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

बतादें की फीस वृद्धि सहित अन्य मांगों को लेकर छात्र आंदोलनरत हैं। तीन दिन से आठ छात्र आमरण अनशन पर भी बैठे हैं। फीस वृद्धि, सीटों में कटौती और आमरण अनशन समेत विभिन्न मांगों को लेकर इविवि में पिछले कई दिनों से छात्रों का आंदोलन चल रहा है।

कुलानुशासक प्रो. पवन कुमार शर्मा के अनुसार, मंगलवार शाम करीब ५:२० बजे कुछ छात्र और बाहरी लोग सीनेट परिसर के गेट नंबर एक पर पहुंच गए और मुख्य रास्ता अवरुद्ध कर दिया। इससे शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों और शोधार्थियों के आवागमन में बाधा उत्पन्न हुई।

आरोप है कि इसी दौरान कुलसचिव की गाड़ी भी प्रदर्शनकारियों ने रोक ली। उन्हें वाहन से उतरने के लिए मजबूर किया गया।

विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसे परिसर की सामान्य व्यवस्था और सुरक्षा प्रभावित करने वाला कृत्य बताया है। एफआईआर में गौरव कुमार, आशुतोष मौर्य, अनुराग यादव, प्रियांशु भुरतिया, आयुष यादव, अमित यादव, रोशन कुमार, राकेश कुमार और ऋषिकेश को नामजद किया गया है। इसके अलावा अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि धरना-प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थान उपलब्ध है, इसके बावजूद मुख्य प्रवेश द्वार अवरुद्ध किया गया।

कर्नलगंज थाना प्रभारी ज्ञानेश्वर मिश्रा ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है।

इविवि में आमरण अनशन तीसरे दिन भी जारी, छह छात्र डटे



इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्रों की विभिन्न मांगों को लेकर चल रहा आंदोलन बुधवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। मांगों के समर्थन में छह छात्र आमरण अनशन पर बैठे हैं। अनशन के दौरान दो छात्रों की तबीयत बिगड़ने पर सभी अनशनरत छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। जांच में उनकी स्वास्थ्य स्थिति खराब पाई गई।

दो छात्रोंकी तबीयत बिगड़ी, प्रशासन एवं छात्र प्रतिनिधियोंके बीच वार्ता बेनतीजा

इसके बावजूद आशुतोष मौर्या, आयुष महात्मा, रोशन माहिर, ऋषि, अमित यादव और राकेश आमरण अनशन पर डटे हुए हैं। छात्रों ने कहा कि जब तक विश्वविद्यालय प्रशासन उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेते हुए ठोस समाधान नहीं करता, तब तक अनशन समाप्त नहीं किया जाएगा। मांगों को लेकर जिला प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्र प्रतिनिधिमंडल के बीच वार्ता भी हुई। छात्र प्रतिनिधियों ने अपनी मांगें प्रशासन के समक्ष रखीं, लेकिन वार्ता में किसी ठोस सहमति पर बात नहीं बन सकी। इसके बाद छात्र प्रतिनिधिमंडल वापस लौट आया। छात्रों का कहना है कि वे लंबे समय से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन को मांगों को गंभीरता से लेते हुए जल्द समाधान करना चाहिए। छात्रों ने चेतावनी दी कि मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में छात्र आंदोलन से जुड़ रहे हैं और आने वाले दिनों में इसे और मजबूती से आगे बढ़ाया जाएगा।

विविधतामें एकताको परिलक्षित करती है हिन्दी-महाप्रबन्धक



उमरे मुख्यालयमें राजभाषा पखवाड़ाका मुख्य समारोह एवं पुरस्कार वितरण

हिन्दी सिर्फ एक भाषा ही नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर का माध्यम है। हिन्दी उन राष्ट्रीय मूल्यों की प्रतीक है जो हमें अपनी समृद्ध विरासत और राष्ट्रीय आंदोलन से प्राप्त हुए हैं। हिन्दी विविधता में एकता की संकल्पना को परिलक्षित करती है। अपना लम्बा सफर तय करते हुए हिन्दी आज सूचना टेक्नालाजी के वर्तमान युग में संचार और तकनीक के हर छोटे-बड़े माध्यमों की भाषा बन चुकी है। यह विचार उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय में महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह ने व्यक्त किया है। उन्होंने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर तथा दीप जला कर राजभाषा पखवाड़ा के मुख्य समारोह एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर नरेश पाल सिंह ने कहा कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में शिक्षा, साहित्य, संचार, मनोरजंन जैसे क्षेत्रों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ रहा है।

उन्होंने कहा कि उत्तर मध्य रेलवे का संपूर्ण कार्यक्षेत्र साहित्य और संस्कृति की समृद्ध विरासत का गढ़ रहा है। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का नैतिक दायित्व है कि हम पूरी कर्तव्यभावना के साथ अपने सभी कार्यों में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग करें।

उत्तर मध्य रेलवे की सांस्कृतिक टीम द्वारा सरस्वती वंदना की सांगीतिक प्रस्तुति की गयी। इस अवसर पर विभागों में हिन्दी में किये जा रहे कार्यों की अत्यंत भव्य एवं आकर्षक राजभाषा प्रदर्शनी लगायी गयी।

राजभाषा प्रदर्शनी में वैगन मरम्मत कारखाना, झांसी को सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शनी की शील्ड प्रदान की गयी। सिगनल एवं दूरसंचार विभाग को द्वितीय तथा रेल सुरक्षा बल विभाग को तृतीय पुरस्कार की शील्ड प्रदान की गयी।

इसके अतिरिक्त प्रतियोगिताओं के विजेता और हिन्दी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले ८९ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी पुरस्कार प्रदान किया गया। महाप्रबंधक ने मुख्यालय में राजभाषा पखवाड़ा प्रतियोगिताओं में निर्णायक के रूप में उल्लेखनीय योगदान देने वाले तथा राजभाषा के प्रसार के कार्यों में योगदान करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया।

कार्यक्रम में अपर महाप्रबंधक राजकुमार वानखेड़े, मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं प्रधान मुख्य यांत्रिक इंजीनियर अनिल कुमार द्विवेदी और सभी प्रधान विभागाध्यक्षों सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा कर्मचारी उपस्थित रहे।

प्रयागराजमें ही होगा वाहनोंका मैनुअल फिटनेस, नहीं आया कोई आदेश

प्रयागराज स्थित आरटीओ कार्यालय में वाहनों के फिटनेस को लेकर अभी तश्वीर साफ नहीं हुयी है। मोर्थ के पूर्व के आदेश के तहत प्रयागराज आरटीओ कार्यालय में ३० सितम्बर २६ तक ही वाहनों के मैनुअल फिटनेस करने का आदेश जारी किया गया था लेकिन बुधवार को कोई नया आदेश जारी नहीं होने से पूर्व की व्यवस्था ही जारी होने की संभावना है। अधिकारियों को अभी भी आटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन पर फैसले का इंतजार बना हुआ है। इस संबंध में आरटीओ प्रशासन हिमेश तिवारी ने बताया कि अभी कोई आदेश नहीं आया है और स्थिति पहले की तरह जारी रहने की संभावना है। हालांकि गाजीपुर के पूर्व आरआई ने हाईकोर्ट से फिटनेस से जुड़ा आदेश अपने पक्ष में करवा लिया है, जिसे वे संदर्भ के तौर पर भेजने की बात भी कह रहे हैं। सम्भागीय निरीक्षक प्राविधिक पुष्पेन्द्र सिंह के अनुसार वाहन फिटनेस को लेकर संचालित व्यवस्था के अंतिम दिन तक स्थिति स्पष्ट न होने से संशय की स्थिति बनी हुई है। हालांकि, गाजीपुर में फिटनेस के संबंध में पक्ष में फैसला आने के बाद वहां कार्य सुचारू रूप से जारी है, लेकिन यहां अभी तक कोई नया आधिकारिक आदेश न आने के कारण कार्यालय स्तर पर ही फिटनेस कार्य निपटाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गाजीपुर के लिए जारी आदेश के क्रम में वाहन स्वामियों और मोटर आपरेटर्स को बड़ी राहत देते हुए स्पष्ट किया है कि जब तक संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन पूरी तरह संचालित नहीं हो जाते, तब तक वाहनों को फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए दूसरे जिले में जाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह आदेश न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति सत्य वीर सिंह की खंडपीठ ने 'प्राइवेट मोटर ऑपरेटर्स यूनियन' द्वारा दायर रिट याचिका का निस्तारण करते हुए पारित किया। बता दें कि प्रयागराज आरटीओ कार्यालय में प्रतिदिन बड़ी संख्या में वाहनों का मैनुअल फिटनेस होता है। जिससे स्वामियों को वाहनों से संबंधित फिटनेस कार्य के लिए पहले की तरह मीरजापुर एटीएस नहीं जाना पड़ता।

युवककी हत्याके दोषी तीनको आजीवन कारावास

(विधि संवाददाता)

३५ साल पुराने हत्या के मामले में ८० वर्ष की बुजुर्ग मां की गवाही ने अहम भूमिका निभाई। अदालत ने मामले में तीन अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव ने रामधारी, मुन्दर और फूलचन्द्र को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास तथा अर्थदंड से दंडित किया। मुकदमे के दौरान अन्य नामजद अभियुक्तों की मृत्यु हो जाने के कारण उनके विरुद्ध कार्यवाही समाप्त हो चुकी थी। यह फैसला अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अमित मालवीय और अभियुक्त पक्ष की ओर से उनके अधिवक्ता के तर्कों को सुनकर एवं पत्रावली पर उपलब्ध सबूतों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने बुधवार को सुनाया। अभियोजन मामले के अनुसार आठ मार्च १९९१ को करछना थाने के महेवा गांव में हरिलाल अपनी मां शिवकली के साथ खेत में अरहर काट रहा था। इसी दौरान विवाद के बाद हरिलाल के साथ लाठी-डंडे और धारदार हथियारों से मारपीट की गई। गंभीर रूप से घायल हरिलाल की बाद में मृत्यु हो गई। मामले की सुनवाई के दौरान मृतक की मां शिवकली, जो अब करीब ८० वर्ष की हो चुकी हैं, ने अदालत में घटना के संबंध में गवाही दी। अभियोजन पक्ष ने उनकी गवाही सहित अन्य मौखिक एवं चिकित्सीय साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप साबित किए।

३५ साल बाद वृद्ध महिलाको मिला न्याय

डीएस यादव वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं आशुतोष त्रिपाठीने संयुक्त सचिव प्रशासन पदपर ली निर्णायक बढ़त

हाईकोर्ट बार चुनावकी मतगणना जारी मुकुल,कपिल देव एवं जय प्रकाश चल रहे आगे

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव की मतगणना में वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर धर्मेंद्र सिंह (डीएस यादव) तथा संयुक्त सचिव प्रशासन पद पर आशुतोष त्रिपाठी ने निर्णायक बढ़त ले ली हैं। डीएस यादव अपने निकटतम प्रत्याशी से ५४१ और आशुतोष १०३९ मतों से आगे चल रहे है। वही कोषाध्यक्ष पद पर मुकुल पांडेय ,संयुक्त सचिव प्रेस पर कपिल देव यादव तथा संयुक्त सचिव लाइब्रेरी पद पर जय प्रकाश सिंह (जेपी सिंह) तीसरे दिन भी आगे चल रहे हैं।

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव २०२६-२७ की मतगणना के सातवें दिन बुधवार को भी चुनाव समिति की निगरानी में जारी रहीं। आज वरिष्ठ उपाध्यक्ष और संयुक्त सचिव प्रशासन पद के ८९५२ मतों की गणना हुई। मुख्य चुनाव अधिकारी एवं वरिष्ठ अधिवक्ता एस.एफ.नकवी के मुताबिक वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद की दौड़ में धर्मेंद्र सिंह (डी.एस. यादव) १,५७३ वोट हासिल कर सबसे आगे चल रहे हैं। दूसरे स्थान पर भगवान दत्त पांडे (बी.डी. पांडे) १,०३२ वोटों के साथ बने हुए हैं।राजेश्वर सिंह को ७६०, ममता मौर्या को ७४०, सुशील कुमार पांडेय को ६६० और गिरिश कुमार सिंह को ६३१ मत मिले हैं। संयुक्त सचिव प्रशासन पद पर आशुतोष त्रिपाठी ने बड़ी बढ़त बना ली है। उन्हें कुल २,००५ मत मिले हैं। भूदेव यादव को ९६६, संतोष कुमार सिंह (बबलू) को ७९३, आनंद शंकर दुबे को ७७७, रजनीश पांडेय को ६८४ मत मिले हैं।

संयुक्त सचिव लाइब्रेरी पद के ६४४६ मतों की गणना में जय प्रकाश सिंह (जेपी सिंह) ९१० वोटों के साथ बढ़त पर हैं। मनीष द्विवेदी को ८३७, अजय कुमार मौर्य को ७३९, विक्रांत नीरज (केसरवानी) को ६१६ मत मिले हैं।संयुक्त सचिव प्रेस पद के लिए कपिल देव यादव १,४०३ मतों के साथ बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि मनीष पांडे १,००९ मतों के साथ दूसरे स्थान पर हैं।

अभिषेक मिश्रा को ८४९, अनुज कुमार सिंह को ८०७ मत प्राप्त हुए हैं।वहीं कोषाध्यक्ष (पुरुष) पद पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। मुकुल पांडे ८४८ मतों के साथ पहले स्थान पर हैं, जबकि अखिलेश कुमार द्विवेदी ८०८ मतों के साथ बेहद करीब हैं। अखिलेश कुमार द्विवेदी को ८०८, धर्मराज पाल को ७१४ मत मिले हैं।चुनाव समिति के अनुसार इन पदों की मतगणना गुरुवार को भी सुबह १० बजे से शाम पांच बजे तक जारी रहेगी।

मतदाताओंसे संपर्क संवादमें ढिलाई न बरतें कार्यकर्ता -मानवेन्द्र सिंह



इलाहाबाद झांसी स्नातक क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी अशोक राठौर का बुधवार को पार्टी कार्यालय में अभिनंदन किया गया और चुनाव में विजय हासिल करने की रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। इस मौके भाजपा के वरिष्ठ नेता व विधान परिषद सदस्य मानवेंद्र सिंह चौहान ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स दिये। उन्होंने मतदाताओं से संपर्क संवाद में किसी भी तरह से ढिलाई न बरतने की अपील की। भाजपा प्रत्याशी का नामांकन पांच अक्तूबर को होगा। इलाहाबाद झांसी स्नातक क्षेत्र चुनाव के संबंध में आज सिविल लाइन स्थित भाजपा कार्यालय में बैठक हुई। जिसमें सबसे पहले भाजपा प्रत्याशी अशोक राठौर का भव्य स्वागत-अभिनंदन हुआ। मुख्य अतिथि भाजपा के वरिष्ठ नेता व विधान परिषद सदस्य मानवेंद्र सिंह चौहान ने चुनाव फतेह करने की रणनीति के बारें में जानकारी दी। कहा कि चुनाव पूरी मजबूती से लड़ना है। जिलों के जिला प्रभारी, जिला संयोजक, विधानसभा संयोजक दो दिन के अंदर अपने जिला व विधानसभा स्तर पर पोलिंग इंचार्जेकि साथ बैठक कर ई-पर्ची मतदाताओं तक पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। दूर वाले मतदाता पोलिंग बूथ तक कैसे आयेंगे, इसकी भी मुकम्मल व्यवस्था करें। उन्होंने कहा कि मतदाताओंसे संपर्क संवादमें ढिलाईन बरते। मंडल अध्यक्षोंको भी अपने अपने मंडल में पूरी निष्ठा व ताकत से लगना है। ५ अक्टूबरको होने वाले नामांकनको भव्य बनानेको लेकर कार्यकर्ता अभीसे पूरी तैयारी कर लें। इलाहाबाद झांसी स्नातक क्षेत्र चुनावके संयोजक अशोक राजपूतने कहा कि संगठनका निर्णय सर्वोपरि है। पार्टी कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ स्नातक निर्वाचन क्षेत्रका चुनाव लड़ेंगे। बैठकका संचालन काशी क्षेत्र उपाध्यक्ष एवं इलाहाबाद झांसी स्नातक क्षेत्र चुनावके सह संयोजक अवधेश चंद्र गुप्ता ने किया। महानगर अध्यक्ष संजय गुप्ता, गंगापार अध्यक्ष निर्मला पासवान, यमुनापार अध्यक्ष राजेश शुक्ल, कौशाम्बी जिलाध्यक्ष धर्मराज मौर्य, प्रयागराज महानगर जिला प्रभारी राकेश त्रिवेदी, यमुनापार प्रभारी अशोक मिश्रा, गंगापार प्रभारी अनिल सिंह सहित चारों जिलोंके जिला व विधानसभा संयोजक उपस्थित रहे।

इलाहाबाद-झांसी स्नातक क्षेत्र चुनावको लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेताने दिये टिप्स, प्रत्याशी अशोक राठौरका नामांकन पांचको

बाइक चोर गिरोहका पर्दाफाश चार शातिर गिरफ्तार

एक ही रात कच्ची सड़कसे चोरीकी थीं दो बाइक, चार बरामद

दारागंज पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए चार शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपितों की निशानदेही पर दारागंज, झूंसी और जार्जटाउन क्षेत्र से चोरी की गई चार बाइक बरामद की हैं।

पूछताछ में आरोपितों ने शहर के अलग-अलग इलाकों में रेकी कर मौका पाकर बाइक चोरी करने की बात स्वीकार की। पुलिस ने चारों के खिलाफ विधिक कार्रवाई कर उन्हें जेल भेज दिया।

पुलिस के अनुसार, कच्ची सड़क निवासी सौरभ यादव और उनके चचेरे भाई राजू की बाइक १८ सितंबर की रात चोरी हो गई थी। सौरभ यादव की तहरीर पर दारागंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तो संदिग्धों की पहचान हुई। बुधवार को मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने सरदार पटेल संस्थान पार्क के पास घेराबंदी कर रितेश सिंह निवासी मोहम्मदाबाद बिलहरा, उतरांव, प्रिंस राज पटेल निवासी मझियारी, सरायममरेज, प्रिंस यादव निवासी अहिराई, हंडिया और सौरभ पांडेय निवासी लाक्षागृह, हंडिया को गिरफ्तार कर लिया। उनकी निशानदेही पर चोरी की चार बाइक बरामद हुईं। पूछताछ में आरोपितों ने पुलिस को बताया कि वे शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में घूमकर बाइक की रेकी करते थे। मौका मिलते ही बाइक चोरी कर फरार हो जाते थे। थाना प्रभारी हरिकेश राय ने बताया कि रितेश सिंह, प्रिंस राज पटेल और प्रिंस यादव के खिलाफ पहले से विभिन्न थानों में आपराधिक मामले दर्ज हैं।

प्रदेशकी जिला अदालतोंकी सुस्तीपर हाईकोर्ट चिंतित,की सख्त टिप्पणी

(विधि संवाददाता)

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला अदालतों में मुकदमों की सुस्त रफ्तार और जिला न्यायपालिका द्वारा मांगी गई जानकारी न देने पर गंभीर चिंता जताई है। न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने चार याचिकाओं की सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला २६ मई २०२६ को सुरक्षित रख लिया था और २८सितंबर २६को फैसला सुनाया।कोर्ट ने कहा कि यह देरी किसी एक व्यक्ति का दोष नहीं, बल्कि संस्थागत व्यवहार का नतीजा है।उर्मिला मिश्रा प्रयागराज के नैनी थाने का २००९ का आपराधिक मामला १६ साल में १७८ से ज्यादा बार लगा, पर आरोप तय नहीं हुए।सरफराज अहमद २००८ में एफआईआर और २०१० में चार्जशीट के बाद करीब १४३ तारीखें लगीं, पर कार्यवाही आगे नहीं बढ़ी।वी.एस. पालीट्यूब सिर्फ ५९,००० रुपये के चेक बाउंस का २०१३ का मामला १०० से ज्यादा बार लगा। आरोपी नियमित रूप से पेश नहीं हुआ।पप्पू मेट जमानत में दो जमानतदार मांगे गए थे। हाईकोर्ट ने पहले ही ११दिसंबर,२०२५ को निजी मुचलका ५,००० रुपये और एक जमानतदार पर रिहाई का आदेश दे दिया था। याचिका मंजूर हुई।हाईकोर्ट ने बच्ची देवी मामले में जमानत की प्रक्रिया तय की थी। कोर्ट के अनुसार १२अगस्त,२०२५ के बाद भी ९,७७५ अग्रिम जमानत और १,५६,१५५ नियमित जमानत आदेशों में दो जमानतदार मांगे गए। कोर्ट ने कहा कि गाज़ियाबाद, लखनऊ, सीतापुर, बुलंदशहर और सहारनपुर में ऐसे आदेश ज्यादा मिले। जिलों से रिपोर्ट मांगी गई, तो केवल २५ ने जवाब दिया और वह भी ज्यादातर अधूरा था। कोर्ट ने आगरा जिला जज की रिपोर्ट की सराहना भी की। मिर्जापुर में १९८१ के चार मामले अब तक लंबित मिले।कोर्ट ने निर्देश जारी किया कि प्रयागराज के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उर्मिला मिश्रा का मामला समयबद्ध तरीके से निपटाएं। बार-बार छूट की अर्जियां खारिज हों, जरूरत पड़ने पर जमानत बांड जब्त हों, और सम्मन-वारंट तामील में लापरवाह पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो।सरफराज अहमद का मुकदमा भी इन्हीं निर्देशों के अनुसार चलेगा। पालीट्यूब मामले में आरोपी हर तारीख पर हाजिर हो। न आए तो कानपुर नगर के एसएसपी उसकी मौजूदगी सुनिश्चित करें, और फिर भी न आए तो हिरासत में लेकर ट्रायल पूरा हो।कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश से फुल कोर्ट बुलाने और हाईकोर्ट रूल्स, १९५२ के पालन पर संवाद शुरू करने पर विचार का अनुरोध किया गया।कहा फैसले की प्रति केंद्रीय विधि मंत्रालय के न्याय विभाग को भेजी जाए।कहा रजिस्ट्रार जनरल पूरे रिकार्ड का डिजिटलीकरण सुनिश्चित करें।कोर्ट ने कहा कि २० साल से ज्यादा समय तक आरोप तय न होना, और कुछ मामलों का ४० साल से ज्यादा चलना, संस्था के लिए अच्छा संकेत नहीं है।

कहा -१६ सालमें १७८ तारीखें, फिर भी आरोप तय नहीं

पीडब्ल्यूडी-नगर निगम सड़कोंकी मरम्मतपर दें ध्यान, दशहरा-दुर्गापूजामें न हो व्यवधान

डीएम ने अधिकारियोंको भ्रमण कर आवश्यक व्यवस्थायें समयसे पूरा करनेका दिया निर्देश

आगामी दहशरा एवं दुर्गापूजा को देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर तैयारी शुरू हो गयी है। दशहरा एवं दुर्गा पूजा पंडालों के मार्गों पर बड़े-बड़े गड्ढे त्योहारों में खलल पैदा कर सकते हैं। जिसे देखते हुए डीएम मनीष कुमार वर्मा ने पीडब्ल्यूडी एवं नगर निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि समय से पहले सड़कों की मरम्मत कर ली जाय, किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिये।

इस संबंध में बुधवार को संगम सभागार में सीपी पीयूष मोर्डिया एवं डीएम ने कार्यदायी विभागों के अधिकारियों, दुर्गापूजा एवं रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। डीएम ने नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की मरम्मत, नालियों की साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल, पार्किंग की व्यवस्था सहित आदि व्यवस्थायें समय से कराने के निर्देश दिये। उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों से निर्बाध विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था कराने के साथ ही लटके जर्जर तारों की मरम्मत, खराब ट्रांसफार्मरों को बदलने, रास्तों पर लटकते पेढ़ों की टहनियों की छटाई कराने तथा नगर निगम को स्ट्रीट लाइटो को सही कराने का निर्देश दिया। डीएम ने सभी एसडीएम एवं पुलिस अधिकारियों को संयुक्त रूप से भ्रमण करके सभी आवश्यक व्यवस्थायें दुरुस्त कराने एवं संवेदनशील स्थानों का भी अवश्य भ्रमण करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को एम्बुलेंस एवं डाक्टरों की टीम की उपलब्धता कराने के लिए कहा। उन्होंने नगर निगमको छुट्टा पशुओं को पकड़ने के लिए आवश्यक काररवाई के लिए कहा। उन्होंने सभी सम्बंधित विभागके अधिकारियोंको भ्रमण कर मेला मार्गोंकी कमियोंको दूर करानेके लिए कहा। कहा कि कोई भी गैर परम्परागत कार्य नहीं होगा। बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, धार्मिक स्थलों पर भी सुरक्षाकी पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित रहे। अपराध निरोधक, सिविल डिफेंस तथा अन्य सहयोगी विभागके लोगोकी शिफ्ट वाइस ड्यूटी लगायी जाये।



सोशल मीडियापर रखें कड़ी निगरानी-सीपी

पुलिस आयुक्त ने कहा कि मेले में निकलने वाले झांकियों का एक निश्चित क्रम हो तथा उनकी ऊंचाई ज्यादा न हो। उन्होंने पार्किंग स्थल पर ही वाहनों को पार्क करने के लिए कहा। कहा कि सुरक्षा की चाक-चौबंद व्यवस्था रहेगी। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखने लिए कहा। उन्होंने मानक के अनुरूप ही साउण्ड बजाने के निर्देश दिये। उन्होंने कमेटियों के पदाधिकारियों से अपने वालेंटियर की सूची उपलब्ध कराने लिए कहा, जिससे कि बेहतर समन्वय के साथ मेले के आयोजन को सम्पन्न कराया जा सके। बैठक में नगर आयुक्त सीलम सांई तेजा, एडीम प्रशासन श्रीमती उपमा पाण्डेय, सभी एसडीएम, एसीपी रामलीला एवं दुर्गापूजा कमेटी के पदाधिकारियों सहित सभी सम्बंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

फरार दरोगा लिए गए न्यायिक अभिरक्षामें, रिहा

(विधि संवाददाता)

पाक्सो एक्ट के विशेष न्यायालय के जज पंकज श्रीवास्तव ने गवाही के लिए अदालत में हाजिर न आने पर चार दरोगा की गिरफ्तारी के संबंध में पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखा था। जिस पर तीन दरोगा न्यायालय में बुधवार को हाजिर हुये । जिस पर न्यायालय ने उन्हें अभिरक्षा में लिया कुछ देर बाद उनका वारंट रिकाल हुआ । न्यायालय ने मामले की दिन प्रतिदिन सुनवाई का आदेश दिया है। गौरतलब है कि १२ वर्ष पुराना पाक्सो एक्ट का एक मुकदमा राज्य बनाम नागराज धूमनगनगंज थाने से संबंधित विचाराधीन हैं ।अदालत ने सुनवाई के दौरान गवाह के रूप में तलब किए जाने के बावजूद पेश न होने पर उपनिरीक्षक उदयवीर सिंह, उपनिरीक्षक नागेन्द्र कुमार नागर, उपनिरीक्षक रविशंकर पाठक और निरीक्षक अंजनी कुमार सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी का आदेश दिया था। विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार त्रिपाठी ने बताया कि उप निरीक्षक उदयवीर सिंह, नागेंद्र कुमार नागर और निरीक्षक अंजनी कुमार सिंह बुधवार को अदालत में हाजिर आए।